[2019] 5 एससीआर 904

संपत बाब्सो काले और एएनआर.

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(2011 की आपराधिक अपील संख्या 694-695)

अप्रैल 09,2019

[एसए बोबडे और दीपक गुप्ता, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860:

एस.एस. 302/4984 आर/डब्ल्यूएस 34 - पति और उसकी बहन द्वारा हत्या - अपनी पत्नी को आग लगाकर - 98% जली हुई चोटें - उपस्थित चिकित्सक के साथ-साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट को मृत्यु पूर्व बयान - बचाव पक्ष की दलील कि मृतक ने आत्महत्या की - ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया - उच्च न्यायालय ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों पर भरोसा करते हुए आरोपियों को दोषी ठहराया - अपील पर, माना: यदि मृत्यु पूर्व बयान सच्चा, स्वैच्छिक है और किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम नहीं है, तो अदालत इस आधार पर दोषी ठहरा सकती है इस तरह के मृत्युपूर्व बयान की - हालाँकि, मृतक की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए, मृत्युपूर्व बयान की पुष्टि की आवश्यकता है - महत्वपूर्ण गवाहों की जांच करने में विफलता के कारण मृत्युपूर्व बयान की पुष्टि नहीं हो पाती है - तथ्यों में आत्महत्या के बचाव संस्करण को भी खारिज नहीं किया जा सकता है मामले की - ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए आरोपी को बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा - ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी को बरी करने पर निर्दोषता की धारणा मजबूत हो गई, और इसलिए उच्च न्यायालय को इस फैसले में हल्के से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट - साक्ष्य - मृत्युपूर्व घोषणा - अपील - दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए

माना: 1. प्रत्येक आरोपी व्यक्ति से जुड़ी बेगुनाही की धारणा तब मजबूत हो जाती है जब ऐसे आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी कर दिया जाता है और उच्च न्यायालय को ट्रायल

कोर्ट के फैसले में हल्के से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिसने साक्ष्य दर्ज किए हैं और गवाहों के आचरण का अवलोकन किया है। [पैरा 7][909-एबी]

चंद्रप्पा एवं अन्य। बनाम कर्नाटक राज्य (2007) **4 एससीसी 415: [2007] 2 एससीआर 630 - पर निर्भर।**

2.1 इसमें कोई संदेह नहीं है, मृत्यु पूर्व दिया गया बयान साक्ष्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टुकड़ा है और जहां न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सच्चा, स्वैच्छिक है और किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम नहीं है, तो न्यायालय केवल मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर ही आरोपी को दोषी ठहरा सकता है। घोषणा। [पैरा 14][912-सीडी]

शाम शंकर कांकरिया बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2006) 13 एससीसी 165: [2006] 5 पूरक। एससीआर 709 - पर भरोसा किया गया।**

2.2 वर्तमान प्रकृति के एक मामले में जहां पीड़िता 98% जल गई थी और डॉक्टर ने रिकॉर्ड से कहा है कि एक दर्द निवारक दवा का इंजेक्शन लगाया गया था और उसके बाद मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया था, इस बात पर गंभीर संदेह है कि क्या पीड़िता स्वस्थ स्थिति में थी। बयान देने का मन वह बहुत पीड़ा में रही होगी और एक बार जब उसे शामक दवा का इंजेक्शन दिया गया होगा, तो उसके भ्रम की स्थिति में होने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि डॉक्टर द्वारा किया गया समर्थन कि पीड़िता बयान देने के लिए मानसिक स्थिति में थी, बयान से पहले नहीं बल्कि बयान दर्ज होने के बाद दी गई है। सामान्यतः इसका उल्टा होना चाहिए। दर्द निवारक दवाओं के प्रशासन के साथ आघात के संयुक्त प्रभाव से संभावित भ्रम का मामला हो सकता है, और इसलिए, वर्तमान मामले में पुष्टिकारक साक्ष्य की तलाश करने की आवश्यकता है। [पैरा 13 और 15][912-एसी; 913-बी]

3. बचाव पक्ष के इस बयान को खारिज नहीं किया जा सकता कि मृतिका अपने ससुराल वालों की देखभाल के लिए गांव जाने को तैयार नहीं थी और इसलिए, उसने आत्महत्या कर ली। दो कारक हैं जो अभियोजन की कहानी के संबंध में गंभीर संदेह पैदा करते हैं। यह स्वीकृत मामला है कि जिस घर में पीड़िता अपने पति के साथ रह रही थी, उसमें रसोईघर के साथ एक कमरा है। इससे यह साबित हो गया कि आग बेडरूम में नहीं बल्कि किचन में लगी थी। पंचनामा रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि गहने यानी मंगलसूत्र, एक नथनी (नाक की अंगूठी), कुछ कांच की चूड़ियाँ और पीनजान (पैर में पहना जाने वाला एक आभूषण) कमरे में खाट पर तकिए के नीचे रखे गए थे। यह भी दर्ज है कि आरोपी के मुताबिक ये गहने उसकी पत्नी के हैं. मंगलसूत्र, पीनजान और यहां तक कि कांच की चूड़ियां ऐसे आभूषण हैं जिन्हें एक भारतीय

विवाहित महिला आम तौर पर नहीं उतारती है। इसलिए, बचाव पक्ष की इस बात को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता कि मृतक ने ये सारे गहने उतार दिए और फिर रसोई में जाकर आत्महत्या कर ली। [पैरा 16, 17 और 18][913-ई.; 914-ई.पू.]

4. पड़ोस के किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार भी पड़ोसियों ने ही सबसे पहले शोर मचाया था। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उनमें से किसी की भी जांच क्यों नहीं की गई। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि आरोपी पति एक अन्य पड़ोसी के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के लिए अस्पताल गया था। इस व्यक्ति की जांच नहीं की गई है. इन महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ न करने से मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की पुष्टि नहीं हो पाती है। सबसे अच्छे गवाह पड़ोसी रहे होंगे जो घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे। वे यह बताने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति होते कि पीड़िता ने उन्हें घटना के बारे में कुछ बताया या नहीं। [पैरा 19][914-डीई]

5. इसलिए, ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, को विकृत नहीं कहा जा सकता है। यह साक्ष्य की उचित सराहना पर आधारित था। [पैरा 20][914-एफ]

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[2007] 2 एससीआर 630	**पैरा 7**	**पर निर्भर था**
[2006] 5 पूरक। एससीआर 709	**पैरा 14**	**पर निर्भर था**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2011 की आपराधिक अपील संख्या 694-695

1991 की आपराधिक अपील संख्या 473 और 1991 की आपराधिक आवेदन संख्या 3031 में बॉम्बे के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 13.10.2010 से।

उदय बी. दुबे, सलाहकार। अपीलकर्ताओं के लिए.

वीवीवी पट्टाभि राम, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, सलाहकार। प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का **फैसला दीपक गुप्ता, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. अभियुक्तों की ये अपीलें 1991 की आपराधिक अपील संख्या 473 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के 13.10.2010 के फैसले के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसके तहत राज्य की अपील की अनुमति दी गई थी और अपीलकर्ताओं को धारा 302/ के तहत दंडनीय अपराधों के लिए

दोषी ठहराया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (संक्षेप में 'आईपीसी') आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी गई और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

2. संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता नंबर 2, ताराबाई धनाजी धाइगुडे अपीलकर्ता नंबर 1, संपत बाबसो काले की बहन हैं। अपीलकर्ता क्रमांक 1, का विवाह 25.04.1987 को शारदा संपत काले से हुआ था। थेरगांव, चिंचवड़ में लगभग एक साल तक रहने के बाद, वे एमआईडीसी कॉलोनी, चिंचवड़ में एक क्वार्टर में स्थानांतरित हो गए। 08.07.1989 और 09.07.1989 की दरमियानी रात में लगी चोटों के कारण 09.07.1989 की सुबह तड़के शारदा की मृत्यु हो गई। यह भी विवादित नहीं है कि घटना की तारीख पर, अपीलकर्ता नंबर 2 अपने भाई यानी अपीलकर्ता नंबर 1 के घर पर रहने के लिए आई थी। जलने की चोटें 98% की सीमा तक थीं। शारदा ने दो मृत्यु पूर्व बयान दिए - पहला डॉ. संजीव छिब्बर (पीडब्लू-5) को दी गई जानकारी के रूप में था, जिन्होंने अस्पताल में भर्ती होने पर उसकी देखभाल की थी और दूसरा श्रीमान को दिया गया औपचारिक मृत्यु पूर्व बयान था। कमलाकर अधव, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुणे (पीडब्लू-2)।

3. अभियोजन की कहानी यह है कि करीब डेढ़ साल तक पति-पत्नी के बीच संबंध मधुर रहे। इसके बाद, अपीलकर्ता नंबर 1 ने अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया क्योंकि वह गर्भवती नहीं हो सकती थी। इसका यह भी आरोप है कि दरअसल, वह शारदा के जीवित रहते हुए भी दूसरी शादी करना चाहता था। इसी वजह से उसने और उसकी बहन ने आम इरादे से शारदा पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी।

4. बचाव पक्ष का तर्क यह है कि शारदा तुलनात्मक रूप से संपन्न परिवार से है। वह अपने पति के साथ एमआईडीसी कॉलोनी क्वार्टर में रहती थी, जहां सभी सुविधाएं थीं। बचाव पक्ष द्वारा स्थापित मामला यह है कि अपीलकर्ताओं के माता-पिता लोनंद गांव में एक छोटे से एक कमरे की झोपड़ी में रहते थे, जिसमें शौचालय आदि की कोई सुविधा नहीं थी। अपीलकर्ता नंबर 1 चाहता था कि उसकी पत्नी उसके माता-पिता की देखभाल के लिए जाए। वह ऐसा करने को तैयार नहीं थी क्योंकि गांव में टीवी, शौचालय आदि जैसी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं और माता-पिता एक कमरे की बहुत छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। बचाव पक्ष के अनुसार, 08.07.1989 की शाम को, दोनों अपीलकर्ताओं ने शारदा से बूढ़े माता-पिता की देखभाल के लिए गाँव जाने का अनुरोध किया। संवेदनशील स्वभाव की शारदा परेशान हो गई और इसी कारण उसने आत्महत्या कर ली। यह अपीलकर्ता नंबर 1 था जिसने शोर मचाया और शारदा पर पानी फेंककर आग बुझाने की कोशिश की। उसने पड़ोसियों से एम्बुलेंस बुलाने का अनुरोध किया लेकिन जब किसी से फोन पर संपर्क नहीं हुआ तो वह एक पड़ोसी के साथ

एम्बुलेंस लाने के लिए अस्पताल गया। इसके बाद, शारदा को पुणे के ससून अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें बर्न्स वार्ड में भर्ती कराया गया। दुर्भाग्यवश, सुबह उनका निधन हो गया।

5. आरोपियों पर शारदा की हत्या का आरोप लगाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को मुख्य रूप से इस आधार पर संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया कि मृतक द्वारा आत्महत्या करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। निचली अदालत ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों पर भरोसा नहीं किया। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों को खारिज करने का कोई कारण नहीं है और यह माना गया कि पीडब्लू-2 और पीडब्लू-5 की गवाही के मद्देनजर मृत्युपूर्व दिए गए बयान पूरी तरह से विश्वसनीय थे। उच्च न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया तर्क विकृत था और उसके बाद, अपील की अनुमति दी गई। इसलिए, वर्तमान अपील करता है।

6. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह है कि मृतिका बहुत संवेदनशील महिला थी। जैसा कि उसके और उसके पति के बीच पत्रों के आदान-प्रदान से स्पष्ट है, वह उसके प्यार में पागल थी। हालाँकि, वह गाँव में जाकर रहना नहीं चाहती थी, वह भी एक कमरे की छोटी सी झोपड़ी में और स्वभाव से संवेदनशील होने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। आगे आरोप है कि मृतक की बहन ने भी आत्महत्या कर ली थी. यह भी दलील दी गई कि साक्ष्यों में कई विसंगतियां हैं और मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे यह आग्रह किया गया कि मृतक की मृत्यु घर की रसोई में आग लगने के कारण हुई, न कि शयनकक्ष में जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि उसने आत्महत्या की थी। यह भी तर्क दिया गया कि बचाव पक्ष का संस्करण एक संभावित संस्करण था और एक बार संदेह होने पर आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था। अंत में यह तर्क दिया गया कि अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निष्कर्षों में हल्के ढंग से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

7. बरी किए जाने के खिलाफ अपील ए में अपीलीय अदालत की शक्तियों के संबंध में, कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि प्रत्येक आरोपी व्यक्ति से जुड़ी बेगुनाही की धारणा तब मजबूत हो जाती है जब ऐसे आरोपी को ट्रायल कोर्ट और उच्च द्वारा बरी कर दिया जाता है। अदालत को ट्रायल कोर्ट के फैसले में हल्के से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिसने साक्ष्य दर्ज किए हैं और गवाहों के आचरण का अवलोकन किया है। चंद्रप्पा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किये:-

“42. उपरोक्त निर्णयों से, हमारे विचार में, दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान अपीलीय अदालत की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत सामने आते हैं: सी

(1) एक अपीलीय अदालत के पास उन सबूतों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है, जिन पर बरी करने का आदेश आधारित है।

(2) आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 इस तरह की शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है और अपीलीय अदालत तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सबूतों पर विचार कर सकती है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, "पर्याप्त और सम्मोहक कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत परिस्थितियाँ", "विकृत निष्कर्ष", "स्पष्ट गलतियाँ", आदि का उद्देश्य किसी की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपीलीय अदालत। साक्ष्यों की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में अपीलीय अदालत की बरी करने में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा पर जोर देने के लिए इस तरह की वाक्यांशविज्ञान "भाषा के उत्कर्ष" की प्रकृति में अधिक हैं।

(4) हालाँकि, अपीलीय अदालत को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बरी होने की स्थिति में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा होती है। सबसे पहले, निर्दोषता की धारणा उसे आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित न हो जाए। दूसरे, आरोपी ने अपनी रिहाई सुनिश्चित कर ली है, उसकी बेगुनाही की धारणा को ट्रायल कोर्ट द्वारा और भी मजबूत, पुन: पुष्टि और मजबूत किया गया है।

(5) यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय अदालत को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष को परेशान नहीं करना चाहिए।

8. हम पहले मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों के संबंध में सबूतों से निपट सकते हैं। डॉ. संजीव छिब्बर (पीडब्लू-5) का कहना है कि वह पुणे के ससून अस्पताल में वार्ड नंबर 27 में

कार्यरत थे, जहां मृतक शारदा संपत काले को 98% जली हुई अवस्था में लाया गया था। उसने उससे पूछा कि उसे जलने की चोटें कैसे लगीं और उसने इस प्रकार उत्तर दिया:

"उसके पति संपत बाबा काले और उसकी बहन द्वारा रात 12.30 बजे (लगभग) मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई।"

9. मृतक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पीडब्लू-5 ने इसे अपने लेख में केस के इतिहास के रूप में दर्ज किया और अदालत में भी इसे साबित किया है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद पीडब्लू-2 मृतक के मृत्युपूर्व बयान को दर्ज करने के लिए वार्ड में आया। इस गवाह का कहना है कि पीडब्लू-2 द्वारा मृत्युपूर्व बयान दर्ज करने से पहले, उसने उसकी जांच की और पाया कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ थी और मृत्युपूर्व बयान देने के लिए सचेत थी। उन्होंने आगे कहा कि मृत्यु पूर्व बयान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी उपस्थिति में प्रश्नोत्तरी के रूप में दर्ज किया गया था। चूंकि मृतक के हाथ जले हुए थे, इसलिए पीडब्लू-2 ने बयान पर बाएं पैर के अंगूठे का निशान लिया। उन्होंने मृत्युपूर्व घोषणा पर निम्नलिखित समर्थन दिया:

“रोगी द्वारा मुझे जारी किया गया बयान उसके मानसिक संकायों और स्टाफ नर्सों की उपस्थिति में है। मैं उन्हें यह बयान जारी करने के लिए उपयुक्त प्रमाणित करता हूं।”

10. पीडब्लू-5 में आगे कहा गया है कि उन्होंने उपरोक्त बयान पर हस्ताक्षर किए और, उनकी उपस्थिति में, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मृत्यु पूर्व बयान की सामग्री को शारदा को पढ़ा, जिन्होंने इसे सही माना। इसके बाद, पीडब्लू-2 ने इस आशय का समर्थन किया और उस पर हस्ताक्षर किए। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि गंभीर रूप से जले हुए मरीजों के मामले में मरीजों को दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं। वह यह भी मानते हैं कि ऐसे मामलों में आघात व्यक्ति के मन में भ्रम पैदा कर सकता है। उपचार चार्ट देखने के बाद उन्होंने बताया कि मृतक को सुबह 3.30 बजे फोर्टविन इंजेक्शन दिया गया था। उन्होंने मृत्यु पूर्व बयान दर्ज करने से पहले इंजेक्शन दिए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया है।

11. अन्य महत्वपूर्ण गवाह श्री कमलाकर अधव (पीडब्लू-2) हैं, जो पुणे के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट थे। उनके मुताबिक, पुलिस ने उन्हें शारदा संपत काले का बयान दर्ज करने के लिए कहा था और इसके बाद वह पुणे के ससून अस्पताल के वार्ड नंबर 27 में गए। उन्हें पीडब्लू-5 द्वारा बताया गया कि महिला मरीज मृत्युपूर्व बयान देने के लिए फिट और पूरी तरह से सचेत थी। उसके पूछने पर मृतिका ने उसे बताया कि उसका नाम शारदा संपत काले उम्र 25 वर्ष है तथा उसने अपना पूरा पता बताया।

वह होश में थी और उसने उससे कहा कि वह स्वेच्छा से बयान दे रही है। इस गवाह ने जो मृत्यु पूर्व बयान साबित किया है वह इस प्रकार है:

"प्रश्न 1: क्या आप पूरी तरह से सचेत हैं?

उत्तर- हां.

"प्रश्न 2: टैम स्प्ल. न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्या आपको यह समझ आया?

उत्तर: हाँ.

"प्रश्न 3: आप कैसे जले?

उत्तर. आज दिनांक 8.7.89 को रात्रि लगभग 1.30 बजे। मेरे स्थान पर निवास पर मेरे पति संपत बाबासाहेब काले और मेरी भाभी ताराबाई धनाजी धाइगुडे ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी, जिससे मैं झुलस गई। हम दोनों पति-पत्नी के बीच झगड़े होते रहते थे और वह मुझसे भी झगड़ा करता था कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती और मेरे साथ बुरा व्यवहार करता था। कल रात में उपरोक्त कारण से उन दोनों ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे मैं जल गयी।"

12. उपरोक्त कथन का शेष भाग पीडब्लू-5 को दिए गए कथन के समान है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। पीडब्लू-2 के सामने एक सुझाव रखा गया है कि यह बयान पीडब्लू-5 की उपस्थिति में दर्ज नहीं किया गया था और इसलिए, मृत्युपूर्व बयान में उनके द्वारा डॉ. छिब्बर के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने उक्त सुझाव का खंडन किया. उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि गंभीर रूप से जल जाने के कारण शारदा एक भी शब्द बोलने की स्थिति में नहीं थी।

13. हमारे विचार में, यद्यपि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान साबित हो चुके हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या हम केवल इन मृत्यु पूर्व बयानों के आधार पर ही आरोपी को दोषी ठहरा सकते हैं। वर्तमान प्रकृति के एक मामले में जहां पीड़िता 98% जल गई थी और डॉक्टर ने रिकॉर्ड से कहा है कि सुबह 3.30 बजे दर्द निवारक दवा का इंजेक्शन लगाया गया था और उसके बाद मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया था, इस बात पर गंभीर संदेह है कि क्या पीड़िता जल रही थी। बयान देने के लिए मानसिक स्थिति उपयुक्त है। वह 98 फीसदी तक जल चुकी थी. वह बहुत पीड़ा में रही होगी और एक बार जब उसे शामक दवा का इंजेक्शन दिया गया होगा, तो उसके भ्रम की स्थिति में होने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा

सकता है। यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि डॉक्टर द्वारा किया गया समर्थन कि पीड़िता बयान देने के लिए मानसिक स्थिति में थी, बयान से पहले नहीं बल्कि बयान दर्ज होने के बाद दी गई है। सामान्यतः इसका उल्टा होना चाहिए।

14. इसमें कोई संदेह नहीं है, मृत्यु पूर्व बयान साक्ष्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है और जहां न्यायालय संतुष्ट है कि मृत्यु पूर्व बयान सच्चा, स्वैच्छिक है और किसी बाहरी प्रभाव का परिणाम नहीं है, तो न्यायालय केवल आधार पर ही आरोपी को दोषी ठहरा सकता है। मृत्यु पूर्व घोषणा. हमें पूरे कानून का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शाम शंकर कांकरिया बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

> "11। यद्यपि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को काफी महत्व दिया जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि आरोपी के पास जिरह करने की कोई शक्ति नहीं है। सत्य को उद्घाटित करने के लिए ऐसी शक्ति आवश्यक है जैसा कि शपथ का दायित्व हो सकता है। यही कारण है कि अदालत भी इस बात पर जोर देती है कि मृत्युपूर्व बयान इस प्रकार का होना चाहिए कि अदालत को उसकी शुद्धता पर पूरा भरोसा हो। अदालत को इस बात का ध्यान रखना होगा कि मृतक का बयान या तो ट्यूशन या प्रोत्साहन या कल्पना का परिणाम नहीं था। अदालत को इस बात से भी संतुष्ट होना चाहिए कि हमलावर को देखने और पहचानने के स्पष्ट अवसर के बाद मृतक मानसिक स्थिति में था। एक बार जब अदालत संतुष्ट हो जाती है कि घोषणा सत्य और स्वैच्छिक थी, तो निस्संदेह, वह बिना किसी अतिरिक्त पुष्टि के अपनी सजा को आधार बना सकती है। यह कानून के पूर्ण नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मरने से पहले दिया गया बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता जब तक कि इसकी पुष्टि न हो जाए। पुष्टिकरण की आवश्यकता वाला नियम केवल विवेक का नियम है....."

15. वर्तमान मामले में, जैसा कि हम पहले ही ऊपर बता चुके हैं, इसमें कुछ संदेह था कि क्या पीड़िता बयान देने के लिए मानसिक स्थिति में थी। इसमें कोई संदेह नहीं है, डॉक्टर ने कहा था कि वह मानसिक रूप से फिट थी, लेकिन उन्होंने खुद अपने साक्ष्य में स्वीकार किया था कि 98% जली हुई पीड़िता के मामले में, सदमे से भ्रम हो सकता है। इसके अलावा, हमारे विचार में, दर्द निवारक दवाओं के प्रशासन के साथ आघात के संयुक्त प्रभाव से संभावित भ्रम का मामला हो सकता है, और इसलिए, वर्तमान मामले में पुष्ट साक्ष्य की तलाश करने की आवश्यकता है।

16. दोनों अभियुक्तों ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') के तहत अलग-अलग लिखित बयान दायर किए। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बचाव यह था कि मृतक अपने ससुराल वालों की देखभाल के लिए गाँव जाने को तैयार नहीं थी और इसलिए, उसने आत्महत्या कर ली। बचाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

17. दो कारक हैं जो अभियोजन की कहानी के संबंध में गंभीर संदेह पैदा करते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि अपीलकर्ताओं- भाई और बहन ने पीड़िता पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। यह स्वीकृत मामला है कि जिस घर में पीड़िता अपने पति के साथ रह रही थी, उसमें रसोईघर के साथ एक कमरा है। इससे यह साबित हो गया कि आग बेडरूम में नहीं बल्कि किचन में लगी थी। पंचनामा (प्रदर्शन 13) और नारायण, पंच गवाह (पीडब्लू-1) के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जब आरोपी संपत बाबसो काले को गिरफ्तार करने के बाद उसके आवास पर ले जाया गया, तो उसने ताला हटाकर दरवाजा खोला। इससे साफ पता चलता है कि पीड़िता को अस्पताल ले जाने के बाद परिसर में ताला लगा हुआ था. संभवतः, दूसरा अपीलकर्ता या घर का कोई अन्य व्यक्ति भी पीड़िता के साथ गया था। पहले कमरे में एक खाट, गद्दा, मच्छरदानी आदि था। बगल के क्षेत्र में एक रसोईघर था जिसमें एक अलग प्रिवी और बाथरूम था। वहां एक प्लास्टिक का डिब्बा था जिसमें मिट्टी का तेल भरा हुआ था. रसोई में केरोसिन की गंध आ रही थी और रसोई के फर्श पर पानी जमा था. रसोई में एक माचिस की डिब्बी और कुछ जले हुए कपड़े भी मिले। इससे साबित होता है कि घटना बेडरूम में नहीं बल्कि किचन में हुई थी.

18. पंच गवाहों के बयान से जो दूसरी महत्वपूर्ण बात सामने आती है वह यह है कि पहले कमरे में जिसमें एक खाट थी, खाट पर दो तकिए थे और एक तकिये के नीचे कुछ आभूषण और अन्य सामान थे. पंचनामा रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि आभूषणों में एक पीला और काला मंगलसूत्र, एक नथनी (नाक की अंगूठी), कुछ कांच की चूड़ियाँ और पीनजान (पैर में पहना जाने वाला एक आभूषण) थे। यह भी दर्ज है कि आरोपी के मुताबिक ये गहने उसकी पत्नी के हैं. मंगलसूत्र, पीनजान और यहां तक कि कांच की चूड़ियां ऐसे आभूषण हैं जिन्हें एक भारतीय विवाहित महिला आम तौर पर नहीं उतारती है। भारतीय समाज में इन्हें आमतौर पर महिलाएं हर समय पहनती हैं। इसलिए, बचाव पक्ष की इस बात को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता कि मृतक ने ये सारे गहने उतार दिए और फिर रसोई में जाकर आत्महत्या कर ली।

19. एक अन्य कारक जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि पड़ोस के किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार भी पड़ोसियों ने ही सबसे पहले शोर मचाया था। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उनमें से किसी की भी

जांच क्यों नहीं की गई। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि आरोपी पति एक अन्य पड़ोसी के साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के लिए अस्पताल गया था। इस व्यक्ति की जांच नहीं की गई है. इन महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ न करने से मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की पुष्टि नहीं हो पाती है। सबसे अच्छे गवाह पड़ोसी रहे होंगे जो घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे। वे यह बताने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति होते कि पीड़िता ने उन्हें घटना के बारे में कुछ बताया या नहीं।

20. उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर ट्रायल कोर्ट ने माना कि अभियोजन उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है। निचली अदालत का यह निष्कर्ष विकृत नहीं कहा जा सकता। यह साक्ष्य की उचित सराहना पर आधारित था। ट्रायल कोर्ट ने सभी साक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। उच्च न्यायालय एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचा। संपूर्ण साक्ष्यों और इस विषय पर कानून को पढ़ने के बाद हमारा मानना है कि ट्रायल कोर्ट का यह मानना सही था कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

21. उपरोक्त के मद्देनजर, हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के ए फैसले को रद्द करते हैं।

22. अपीलकर्ता क्रमांक 1 जेल में बताया गया है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। अपीलकर्ता क्रमांक 2 जमानत पर है। उसके जमानत बांड, यदि कोई हों, तो उन्मोचित माने जाएंगे।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील स्वीकार

आशीष तिवारी की देखरेख में आशा शुक्ला द्वारा अनुवादित।